

मो० गुलाम रसूल
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, अररिया

GR-859/2023
Narpatganj P.S-562/2022
C.I.S. No-859/2023

03.05.2023 प्रस्तुत अभिलेख में एकमात्र काराधीन अभियुक्त गब्बर यादव उर्फ अजीत कुमार उम्र लगभग-32 वर्ष पे० तिर्थानन्द यादव साकिन-रामघाट वार्ड संख्या-4 थाना-नरपतगंज, जिला-अररिया को आज मंडल कारा, अररिया से C.W. के साथ प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त को कागजात/कांड दैनिकी की प्रति प्राप्त करायी गई। अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त दिनांक-25.01.2023 से कारा अभिरक्षा में है एवं अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक-28.04.2023 को पूर्व के न्यायालय द्वारा धारा-392,397 भा०द०वि० के अन्तर्गत कारीत अपराध का संज्ञान लिया गया है। भा०द०वि० की धारा-397 माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः वाद-अभिलेख को दौरा सुपुर्द किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि प्रस्तुत वाद को माननीय सत्र न्यायालय, अररिया के कार्यालय में भेजें तथा इसकी सूचना विद्वान सहायक लोक अभियोजक को भी दे। अभियुक्त गब्बर यादव उर्फ अजीत कुमार को निर्देश दिया जाता है कि अगली नियत तिथि दिनांक-12.05.2023 को माननीय सत्र न्यायालय, अररिया के न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे।

ह०
Sd/-
न्या०दण्डा०, प्रथम श्रेणी
अररिया